



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08112025-267484
CG-DL-E-08112025-267484

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 716] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947
No. 716] NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/KARTIKA 15, 1947

भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान
(संसदीय अधिनियम द्वारा स्थापित)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2025

(चार्टर्ड अकाउंटेंट्स)

फा. सं. 29-सीए/लॉ/डी-331/2025.—माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की धारा 21(6)(ग) के अधीन सिविल याचिका संख्या 53/2014 में तारीख 29.07.2025 को यह आदेश दिया है कि श्री मनीष अग्रवाल, चार्टर्ड अकाउंटेंट (सदस्य संख्या 208588), स्थायी/वृत्तिक पता : जी701, गोल्डन स्क्वायर सीएचएस सुंदर नगर कलिना मुंबई-400098 का नाम, उन्हें चार्टर्ड अकाउंटेंट अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग II के खंड (ii) के साथ पठित दूसरी अनुसूची के भाग I के खंड (7) के अंतर्गत आने वाले “वृत्तिक कदाचार” का दोषी पाए जाने के पश्चात् तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया जाए।

अतः, अब, माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के तारीख 29.07.2025 के उक्त आदेश के अनुसरण में और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विनियम, 1988 के विनियम 18 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (2) के निवंधनों के अनुसरण में यह अधिसूचित किया जाता है कि श्री मनीष अग्रवाल (सदस्य संख्या 208588) का नाम इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए सदस्यों के रजिस्टर से हटा दिया गया है।

सीए. (डा.) जय कुमार बत्रा, सचिव
[विज्ञापन-III/4/असा./450/2025-26]

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA**(Set up under an Act of Parliament)****NOTIFICATION**

New Delhi, 4th November, 2025

(CHARTERED ACCOUNTANTS)

F. No. 29-CA/Law/D-331/2025.—A Division Bench of the Hon'ble High Court of Karnataka in Civil Petition No. 53/2014 under Section 21(6)(c) of the Chartered Accountants Act, 1949 has ordered on 29.07.2025 that the name of Shri Manish Agarwal, Chartered Accountant (M. NO. 208588), Permanent/Professional Address: G701, Golden Square Chs Sundar Nagar Kalina Mumbai -400098 be removed from the Register of Members for a period of three years after finding him guilty of “Professional Misconduct” falling within the meaning of Clause (7) of Part I of the Second Schedule read with Clause (ii) of Part II of the Second Schedule to the Chartered Accountants Act, 1949.

Now, therefore, pursuant to the said order of the Hon'ble Karnataka High Court dt. 29.07.2025 and in terms of sub-section (2) of section 20 of the said Act read with Regulation 18 of the Chartered Accountants Regulations, 1988, it is hereby notified that the name of Shri Manish Agarwal (M.NO. 208588) stands removed from the Register of Members for a period of three years w.e.f. the date of publication of this notification.

CA. (Dr.) JAI KUMAR BATRA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./450/2025-26]